समाचार–प्रकाशनार्थ :–

नेशनल लोक अदालत का 11 सितम्बर शनिवार को आयोजन

संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट
बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

रतलाम 8 सितम्बर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 11 सितम्बर 2021 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय जलकर काउंटर के बाहर तथा कोर्ट परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/– से अधिक तथा रूपये 50,000/– तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (**One Time Settlement**) ही दी जायेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2020–21 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 11/09/2021 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 11 सितम्बर 2021 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय जलकर काउंटर के बाहर तथा कोर्ट परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

भैंसो के तबेले व बाड़े तोड़ने का अभियान पुनः प्रारंभ

8 सितम्बर को 7 भैंसो के तबलो को तोड़ा गया

4 तबेले संचालकों से तबेले तोड़ने की राशि वसूली

शहरी क्षेत्र से अब तक 21 भैंसो के तबेले हटाये

रतलाम 08 सितम्बर । रतलाम नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु निगम नगर निगम एक्ट के विरूद्ध नगरीय सीमा क्षेत्र में संचालित भैंसो के तबेले व बाड़े हटाने के अभियान के तहत तबेले संचालकों को अपने तबेले स्वंय तोड़ने की समय सीमा 7 सितम्बर समाप्त होने गे बाद निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 8 सितम्बर को तबेले तोड़ने का अभियान प्रारंभ किया गया जिसके तहत झोन क्रमांक 3 के अन्तर्गत संचालित 7 तबेलों को तोड़ा जाकर तबेले मालिकों से तबेले तोड़ने की राशि वसूली।

ज्ञातव्य है कि नगर निगम सभागृह में 04 सितम्बर शनिवार को कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरूषोत्तम द्वारा नागरिकों नगर निगम से संबंधित शिकायतें सुनने व निराकरण करने के दौरान गवली समाज व अन्य पशु पालकों द्वारा अपने बाड़े व तबेले स्वंय तोड़े जाने

हेतु समय की मांग किये जाने पर कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने उन्हे 3 दिवस का समय दिया गया था।

07 सितम्बर मंगलवार को समय सीमा समाप्त होने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 8 सितम्बर बुधवार को भैंसो के बाड़े व तबेले तोड़ने का कार्य प्रातः 10 बजे गौशाला रोड से किया गया जिसके तहत गोपाल यादव गौशाला रोड, रघुनाथ राठौड, मानसिंह राठौड़ तैलियो की गली, शहजाद–रसूल राजेन्द्र नगर, शाहिद घोसी मौमिनपुरा, हुसैन अब्दुल व मोहम्मद कुरेशी नयापुरा द्वारा अपने तबेले नहीं हटाये जाने की स्थिति में उक्त तबेलों को जेसीबी मशीन, गैंग आदि के माध्यम से हटाया गया। इस तरह नगर निगम द्वारा अब तक शहरी क्षेत्र से कुल 21 तबेलो को हटाया गया यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

तबेले तोड़ने की कार्यवाही के दौरान राजेन्द्र, अनिल कुमार व सलीम मोहम्मद हुसैन (गोपाल यादव) गौशाला रोड पर 15000, शहजार राजेन्द्र नगर, हुसैन नयापुरा व मोहम्मद दीवान कुरेशी पर 10000–10000 की राशि तबेले तोड़ने हेतु वसूली

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशी व उनके बाड़े व तबेलों शहर तो गंदा होता ही है साथ ही उत्पन्न गंदगी से मच्छर पैदा होते है जिससे नागरिकों को मच्छर जनित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में डेंगू के प्रकोप शहर में बढ़ता जा रहा है इस पर काबू पाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा संपूर्ण शहर में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है साथ ही निगम एक्ट के विरूद्ध शहर में संचालित गाय, भैंस, सूअर व अन्य पशुओं के तबेले एवं बाड़े तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। मवेशी पालकों के अनुरोध पर उन्हे तीन दिवस का समय दिया गया है नियत समयावधि में मवेशी पालक द्वारा तबेले व बाड़े स्वंय नहीं हटाते है तो उन्हे नगर निगम द्वारा तोड़ा जाकर 15 हजार रूपये प्रतिघन्टा के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जावेगी।

तबेले हटाने की कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी सर्वश्री विनय चौहान, किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े, वार्ड दरोगा सहित निगम के स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग अमले के साथ ही पुलिस प्रशासन उपस्थित था।

सफाई कर्मचारियों की मांगो पर शासन नियमानुसार स्वीकृति दिये जाने पर कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त

रतलाम 08 सितम्बर। नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति की 22 सुत्रीय मांगो के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम अधिकारी के साथ यूनियन के पदाधिकारियों से चर्चा की।

नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति की 22 सुत्रीय मांगो पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने विस्तृत चर्चा कर लगभग सभी मांगे शासन नियमानुसार स्वीकृत कर उनके निराकरण हेतु समय–सीमा भी निर्धारित की जिससे कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है।

चर्चा के दौरान उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, श्री सत्यप्रकाश आर्चाय, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्रा, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री मनीष तिवारी, सहायक वर्ग–3 श्री राजेन्द्रसिंह गेहलोत, नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारी सर्वश्री कमल भाटी, रामकल्याणे, कमल शिन्दे, संजय पैमाल, विजय खरे आदि उपस्थित थे।

पीएमएवाय के फ्लेटों का इप्का में दिया प्रेजेन्टेशन

इप्का के अधिकारी एवं कर्मचारियों को फ्लेट क्रय करने हेतु किया प्रोत्साहित

रतलाम 08 सितम्बर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुखर्जी नगर व डोसीगांव में निर्मित एमआईजी व एलआईजी फ्लेटों का शीघ्र–अतिशीघ्र हो इस हेतु निगम आयुक्त श्री

सोमनाथ झारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी इप्का के अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्मित फ्लेटों का प्रेजेन्टेशन दिया।

प्रेजेन्टेशन के माध्यम से इप्का के अधिकारी एवं कर्मचारियों को मुखर्जी नगर व डोसीगांव में निर्मित एलआईजी व एमआईजी फ्लेटों को दिखाया गया साथ ही फ्लेट का सुपर बिल्ट अप एरिया, आरक्षित मूल्य, ऑन लाईन विक्रय प्रक्रिया, अर्नेस्टमनी राशि आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर वाईस प्रेसिडेंट दिनेश सियाल, एडमिनिस्ट्रेशन हेड श्री विक्रम कोठारी, जनरल मैनेजन श्री नीरज सक्सेना सहित इप्का के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन
8 सितम्बर को 84 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 08 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 08 सितम्बर बुधवार को 84 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

08 सितम्बर बुधवार को डम्पर व ट्रेक्टर से 486602, काम्पेक्टर सूखा कचरा 22280, काम्पेक्टर गीला 13705 किलो इस तरह कुल 84645 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

1128 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 08 सितम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10,000/– ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2694 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 1395 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 1105 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 23 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/– का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10,000/– का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20,000/– का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नगर निगम के पेंशनरो को देना होगा जीवित प्रमाण–पत्र

रतलाम 08 सितम्बर। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण–पत्र लिया जावेगा।

नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण–पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 08 सितम्बर । **कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।**

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 08 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 08 सितम्बर । **स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।**

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 08.09.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.